



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी (तहसीलदार) कुचामनसिटी	ना म	भंवरबाई पत्नी शुभकरण जाति चारण निवासी कचोलिया तहसील मालपुरा जिला टोंक
राजस्व वाद – वाद अन्तर्गत धारा 177 R.T.Act 1955		
वाद-पत्र नम्बर 44 / 2021	GCMS No. 2021/223	
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	
	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए	
22.06.2021	<p>यह राजस्व वाद राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी जिला (नागौर) की ओर से अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरुद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत किया गया। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादी जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 29.07.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी ( नागौर )</p> <p>28.7.2021 पत्रावली पेश हुई आज श्रमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य अवकाश से बाहर पधार हैं। अतः पत्रावली दिनांक 22.09.2021 को जेय की है</p> <p>21/9/2021 अज्ञान के डायग्नोसिस-युक्त प्रदर्शन करने पर पत्रावली आम नमूने पर ली गई प्रदर्शन करने से परिचित हो चुकी है वही मर के बाद अपने योग्य नहीं है अतः यह 21/9/2021 किना जमाने पर पत्रावली किमान ठाम देकर नमूने पर देकर शरीर पर कर दो</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी ( नागौर )</p>	